कु मनलता / बाबूलाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2637-दो / 14 जिला सतना

स्थान तथा दिनाक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07-8-14	यह निगरानी आवेदनपत्र म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल, सिंहपुर जिला सतना के प्रकरण कमाक 07 / अ-12 / 11-12 में पारित आदेश दिनांक 16.07.12 के विरूध्द प्रस्तुत किया गया है। 2/ मैंने आवेदक के विव्दान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि सीमांकन के पूर्व सरहदी कृषकों एवं आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गयी। उनका यह भी तर्क है कि पीठासीन अधिकारी ने प्रदर्श पी-1 से पी-4 पर हस्ताक्षर कर दिनांक 17-06-12 की तिथि अंकित की है, इस कारण दिनांक 11-7-12 को सीमांकन करना प्रतीत नहीं होता। अन्त में उनका तर्क है कि राजस्व निरीक्षक ने प्रदर्श पी 4 पर अंकित नक्शा टेश की पुष्टि की है जिसकी उन्हे अधिकारिता नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।	

3/ आवेदक व्दारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियों से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक व्दारा दिनांक 11–7–12 को सीमांकन करने के पूर्व सीमांकन की सूचना आवेदक सरहदी कृषक होते हुए भी नहीं दी गयी। राजस्व निरीक्षक व्दारा नक्शा ट्रेस को प्रदर्श पी–4 अंकित किया गया है। राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 16–7–12 में नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी–4 आदेश का अंग होना अंकित किया है। राजस्व निरीक्षक को संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत सीमांकन की अधिकारिता शासन व्दारा प्रदत्त की गयी है और नक्शा तरमीम की अधिकारिता राजस्व निरीक्षक को नहीं है। ऐसी दशा में राजस्व निरीक्षक का आदेश अधिकारिता रहित होने व सीमांकन के पूर्व सरहदी कृषक को सूचना नहीं दिये जाने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

4/ उक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है और राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 17–06–12 निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ राजस्व निरीक्षक को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक तथा समस्त सरहदी कृषकों को सूचनापत्र तामील करने के पश्चात प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराकर

प्रकरण का विधि अनुसार निराकरण करें। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति साथ में भेजी जाय। तत्पश्चात राजस्व मण्डल का अभिलेख दाखिल अभिलेखागार किया जाय।

(एम0के0सिंह)
सदस्य

न्यायालयः माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा, म0प्र0.

निग. 2637-II/14

निगरानी प्र0क्र0/ /14

373
14-7-14

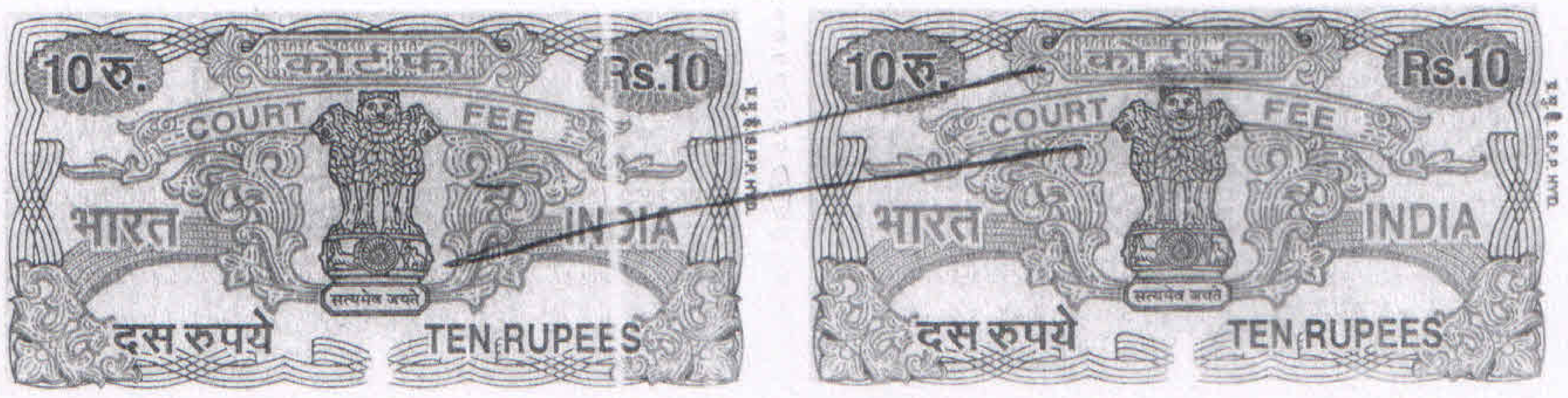

Rs. 40/-

श्रीमती सुमनलता पाण्डेय पत्नी श्री रमाकान्त पाण्डेयउम्र-60 वर्ष पेशा-घरूकार्य

निवासी ग्राम सिंहपुर तह0 नागौद, जिला सतना, म0प्र0.

R. 2637-II/14

----- आवेदिका

बनाम

01- बाबूलाल ⟩
 ⟩ - दोनो के पिता चुनकाई
02- जगदीश ⟩

दोनो निवासी ग्राम सिंहपुर, तह0नागौद, जिला सतना, म0प्र0.

03- शासन म0प्र0 -----अना0गण.